

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

ऐश्वर्या राय बच्चन को 4 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद में बड़ी राहत, IT ट्रिब्यूनल ने दिया उनके हक में फैसला

Publisher

Published on 07 Nov 2025



बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड **ऐश्वर्या राय बच्चन** को 4 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद में बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) ने ऐश्वर्या के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई टैक्स कटौती को अवैध करार दिया है। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि टैक्स अधिकारियों ने न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, बल्कि ऐश्वर्या द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया। इस फैसले को करदाताओं के लिए एक **महत्वपूर्ण मिसाल** माना जा रहा है।

मामला वर्ष 2018-19 के दौरान का बताया जा रहा है, जब ऐश्वर्या राय बच्चन की ओर से दाखिल आयकर रिटर्न की जांच करते हुए विभाग ने लगभग **₹4 करोड़ की टैक्स कटौती** कर दी थी। टैक्स अधिकारियों ने दावा किया था कि अभिनेत्री ने अपनी विदेशी आय और कुछ निवेशों को सही तरह से घोषित नहीं किया था। हालांकि ऐश्वर्या की ओर से स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि संबंधित रकम पहले ही टैक्स भुगतान के दायरे में आ चुकी है और कोई छुपाव नहीं किया गया है।

ऐश्वर्या ने इस कार्रवाई के खिलाफ **इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT)** में अपील दायर की थी। उनकी दलील थी कि विभाग ने उन्हें पर्याप्त सुनवाई का मौका नहीं दिया और बगैर ठोस सबूत के टैक्स डिडक्शन कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने ऐश्वर्या के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि विभाग की कार्रवाई प्रक्रिया की दृष्टि से गलत थी और इस तरह की कटौती “न्यायोचित नहीं” कही जा सकती।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा,

“विभाग को करदाता के अधिकारों का सम्मान करते हुए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। केवल अनुमान या अपूर्ण जानकारी के आधार पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता।”

ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि ऐश्वर्या राय बच्चन की फाइल में दी गई जानकारीयां पारदर्शी थीं और टैक्स अधिकारी उनका समुचित मूल्यांकन करने में विफल रहे।

यह फैसला ऐश्वर्या के लिए न केवल एक व्यक्तिगत जीत है, बल्कि उन हजारों करदाताओं के लिए भी राहत का संदेश है जो टैक्स अधिकारियों की मनमानी का सामना करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ITAT का यह आदेश भविष्य में टैक्स जांच के मामलों में पारदर्शिता और प्रक्रिया के अनुपालन को और मजबूत करेगा।

ऐश्वर्या राय बच्चन, जो पिछले दो दशकों से अधिक समय से बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शुमार हैं, अक्सर अपने **प्रोफेशनलिज्म और साफ-सुथरी छवि** के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इस पूरे विवाद के दौरान कभी भी मीडिया में बयानबाजी नहीं की और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखा। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक, ऐश्वर्या हमेशा से वित्तीय मामलों में सतर्क और पारदर्शी रही हैं।

उल्लेखनीय है कि बच्चन परिवार के अन्य सदस्यों — अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन — के खिलाफ भी पूर्व में टैक्स से जुड़ी जांचें हुई थीं, लेकिन सभी मामलों में उन्हें बाद में राहत मिली। इस ताजा फैसले से ऐश्वर्या के साथ-साथ पूरे परिवार को एक बार फिर कानूनी राहत मिली है।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला “**प्रोसेड्यूरल जस्टिस**” की एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा। आयकर विभाग की कार्रवाई पर ट्रिब्यूनल की सख्त टिप्पणी से यह संदेश गया है कि विभागीय अधिकारियों को करदाताओं के अधिकारों और उनके द्वारा दी गई जानकारी का आदर करना चाहिए।

ऐश्वर्या राय बच्चन ने बॉलीवुड में “हम दिल दे चुके सनम”, “देवदास”, “गुरु” और “जोधा अकबर” जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सिनेमा की एक प्रभावशाली शख्सियत रही हैं। ऐसे में उनके खिलाफ हुए टैक्स विवाद का यह फैसला न केवल उनकी प्रतिष्ठा के लिए राहतभरा है, बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी गर्व का क्षण है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि इस मामले ने यह साबित किया है कि सही दस्तावेज़ और कानूनी प्रक्रिया के जरिये कोई भी व्यक्ति गलत टैक्स निर्णय के खिलाफ न्याय पा सकता है।

कुल मिलाकर, **ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस टैक्स विवाद में न केवल जीत हासिल की, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और धैर्य के साथ लड़ी गई लड़ाई हमेशा न्याय तक पहुंचती है।** यह फैसला अब टैक्स जगत में एक **नजीर** बनकर उभरेगा और भविष्य में कई मामलों की दिशा तय करेगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.